राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 11307/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
निर्मल कुमार यूनिट नं. 90, ब्लॉक-के. नारायण विहार, असरपुरा, अजमेर रोड जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप सचिव राजस्थान मानवाधिकार आयोग, शासन सचिवालय जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 05-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री अमर चन्द शर्मा, प्रभारी अधिकारी, उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 12-12-16 के द्वारा मानवाधिकार आयोग में प्रस्तुत परिवाद संख्या 15/17/679 दिनांक 20-3-15 के सम्बन्ध में उक्त प्रकरण की आदेशिका की प्रति के अनुसार दिनांक 9-5-15 को प्रतिवादी को जारी नोटिस की प्रति आदि के सम्बन्ध में 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 18-1-17 से 4 पृष्ठीय सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा चुकी है एवं पत्र दिनांक 9-3-17 से परिवाद संख्या 15/17/679 के सम्बन्ध में भी अपीलार्थी को संसूचित कर दिया गया था कि परिवाद में अन्तिम निर्णय पारित कर परिवाद पत्रावलि किया जा चुका है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 30-11-17 मय 15 पृष्ठीय संलग्नकों सहित प्रस्तुत किया है से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को पैरा संख्या 5 में किये गये कथन के अनुसार सूचना प्रदत्त है।
7. अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त